न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 05/2018

1. सीताराम पुत्र रामनारायण, जाति–बारागॉव ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम चकवाडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. रामसहाय पुत्र रामनारायण, जाति–बारागॉव ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम चकवाडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. दुर्गाशंकर पुत्र रामनारायण, जाति–बारागॉव ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम चकवाडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स

वनाम

तहसीलदार–फागी, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा दिनांक 09.11.2017 तहसीलदार फागी, जिला–जयपुर वमिसल संख्या 36/2017 उनवानी सरकार वनाम सीताराम वगैराह अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थितः–

1. श्री हनुमान सहाय सिहाग, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांकः 30.07.2019

तहसीलदार, फागी ने अपनी आज्ञा दिनांक 09.11.2017 द्वारा अपीलान्ट् सीताराम, रामसहाय, दुर्गाशंकर पुत्र श्री रामनारायण, जाति–बारागावं ब्राहम्ण, निवासी–चकवाडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर को आराजी खसरा नम्बर 2062/1 कुल रकबा 1 वीधा 14 विस्वा में से 5 विस्वा किस्म जमीन गैर–मुमकिन रास्ता पर वाडा वनाकर कब्जा कर अतिक्रमण करने का दोषी पाये जाने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित कर अपीलान्ट्स को विवादग्रस्त आराजी से वेदखल करने तथा वार्षिक लगान राशि 0.17 का 50 गुणा राशि रू0 9/–शास्ति आरोपित कर, आदेश की पालना में टी.आर.ए./पटवारी हल्का को मौंग कायमी, वेदखली हेतु लिखे जाने के आदेश दिये गये हैं, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट् जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री हनुमान सहाय सिहाग का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 09.11.2017 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व न तो अपीलान्ट्स को विधिवत पृथक–पृथक सुनवाई साक्ष्य हेतु नोटिस दिया है और न ही समुचित अवसर प्रदान किया है इसके बावजूद भी संयुक्त नोटिस दुर्गाशंकर के द्वारा प्राप्त किये जाने पर अपीलान्ट्स अधिनस्थ न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित हुऐ हैं और अपना जवाब प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट्स–गैरसायलान को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु न तो अवसर दिया गया और न ही आगामी पेशी से अवगत कराया। समस्त कार्यवाही बाला–बाला एकतरफा की गई है जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स–गैरसायलान द्वारा अपने जवाब दिनांक 06.10.2017 में स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया गया था कि वादग्रस्त आराजी आवंटन सलाहकार समिति की आज्ञा दिनांक 26.05.1978 द्वारा छोटी पट्टी के तहत नियमन कर दिया गया है, वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट्स–गेरसायलान का पीढी दर पीढी पुराना कब्जा काश्त है, धारा 91 की कार्यवाही तथ्यों के अनदेखी में की गई है। अपीलान्ट्स–गैरसायलान के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप की जाकर नियमन आदेश दिनांक 26.05.1978 के अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावे परन्तु अपीलान्ट्स–गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब का बिना परीक्षण किये व विवेक का उपयोग किये बिना तथ्यों के विपरीत अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 09.11.2017 पारित की गई है जो तथ्यों के विपरीत व मनमाने तौर पर पारित किये जाने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स द्वारा नियमन आदेश का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने के लिऐ तहसीलदार, फागी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त की गई थी जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.09.2017 में अपीलान्ट्स–गैरसायलान के हक में नियमन होना स्वीकार किया गया था और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि वादग्रस्त आराजी के नियमन आदेश का अंकन राजस्व रिकार्ड में नही हुआ है। वादग्रस्त आराजी के अपीलान्ट्स–गैरसायलान के हक में नियमन आदेश दिनांक 26.05.1978 होने के बावजूद व इन आदेशों की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को होने

Scanned by CamScanner

के बावजूद भी विधि–विरूद्ध मनमाने तौर पर बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जावे अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 09.11.2017 निरस्त फरमायी जावे तथा नियमन आज्ञा दिनांक 26.05.1978 का अपीलान्ट्स–गैरसायलान के हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन हैं कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर पारित की गई हैं। अपीलान्ट्स–गैरसायलान को विधिवत नोटिस जारी किया गया है नोटिस की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुऐ हैं, जवाब पेश किया गया है किन्तु आगामी पेशी पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही अपीलान्ट्स–गैरसायलान अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुऐ है। दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो विधि अनुकूल है। गैर–मुमकिन रास्ते की आराजी को नियमानुसार न तो आंवटन किया जा सकता है और न ही खातेदारी दी जा सकती है। अतः यदि कोई नियमन आज्ञा भी है तो वह विधि–विरूद्ध है। गैर–मुमकिन रास्ता आराजी पर बिना किसी वैद्य अधिकार के अतिचार किया गया है जिसे लोकहित में बेदखल किये जाने हेतु विधि–सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 09.11.2017 यथावत रखी जाने के आदेश फरमावें।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथमतः अपीलान्ट्स–गैरसायलान को जो प्ररूप "क" में जो नोटिस जारी किया गया है वह संयुक्त नोटिस है नियमानुसार पृथक–पृथक नोटिस जारी किया जाना वांछित है। नोटिस की पालना में अपीलान्ट्स–गैरसायल अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुऐ हैं और जवाब प्रस्तुत किया है परन्तु प्रस्तुत किये गये जवाब के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का परीक्षण किया जाना आज्ञा दिनांक 09.11.2017 में अंकित नहीं है, जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है पत्रावली पर ऐसे भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं जो यह साबित करते हो कि आंवन्टन सलाहकार समिति की आज्ञा दिनांक 26.05.1978 को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर

Scanned by CamScanner

निरस्त कराया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, फागी की आज्ञा दिनांक 09.11.2017 स्पीकिंग आज्ञा नहीं हैं। प्रकरण के तथ्यों की जांच कर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो व मौके की जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना परिलक्षित नहीं होता हैं। यह स्पष्ट जाहिर हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को नियमानुसार न तो पृथक–पृथक नोटिस जारी किया हैं और न ही अपीलान्ट्स–अप्रार्थीगण (दुर्गाशंकर को छोड़कर) को नोटिस की तामील हुई हैं। अप्रार्थीगण को बिना साक्ष्य सबूत का नोटिस/अवसर दिये बिना व अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब पर बिना गौर किये एकतरफा निर्णय पारित किया गया हैं, जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता हैं। अतः उक्त विवेचानानुसार अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 09.11.2017 निरस्त की जाती हैं और प्रकरण तहसीलदार, फागी को पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि अपीलान्ट्स को नियमानुसार पृथक–पृथक नोटिस जारी कर सुनवाई साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत् निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner